(वाद संख्या–905/17)

27.08.2019

परिवादी, श्री राधेश्याम शर्मा, अनुपस्थित हैं।

प्रस्तुत मामला हिलसा थाना कांड संख्या 555/2014, दिनांक 04.02.2014 के अन्वेषणोपरांत, उपरोक्त कांड में वर्णित घटना को, असत्य पाकर अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करने तथा उपरोक्त कांड के सूचक, वीरेन्द्र कुमार, के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा 182/211 के अंतर्गत अभियोजन चलाने से संबंधित प्रस्ताव को संबंधित न्यायालय में समर्पित नहीं किये जाने से संबंधित है।

पुलिस अधीक्षक, नालंदा के प्रतिवेदन के अनुसार उपरोक्त कांड के अनुसंधानकर्ता को हिलसा थाना कांड संख्या 555/2014 के सूचक के विरूद्ध न्यायालय में अभियोजन चलाने से संबंधित प्रस्ताव/परिवाद पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, नालंदा, बिहार शरीफ से इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग दिनांक 14.11.2019 के पूर्व की जाय कि उनके द्वारा आयोग द्वारा समर्पित पत्रांक 73/एच0आर0, दिनांक 25.02.2019 के आलोक में हिलसा थाना कांड संख्या 555/2014 के सूचक के विरूद्ध उपरोक्त कांड के अन्वेषणकर्ता द्वारा संबंधित न्यायालय में भा0द0स0 की धारा 182/211 के अंतर्गत अभियोजन चलाने से संबंधित परिवाद समर्पित किया गया है अथवा नहीं तथा अगर समर्पित किया गया है तो उसका अप्राथमिकी संख्या/वाद संख्या क्या है?

संचिका दिनांक 21.11.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>